



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13022024-252036
CG-DL-E-13022024-252036

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 581]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 12, 2024/माघ 23, 1945

No. 581]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 12, 2024/MAGHA 23, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2024

का.आ. 612(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि असम राज्य के कारबी आंगलोंग जिले में NH37 (नया NH-715) के कि.मी. 315.315 से कि.मी.403 (कारबी आंगलोंग स्वायत्त परिषद राजस्व विभाग, डिफू) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् संयुक्त सचिव, कारबी आंगलोंग को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकृत किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

असम राज्य के कारबी आंगलोंग जिले में NH37 (नया NH-715) के कि.मी. 315.315 से कि.मी. 403 (कारबी आंगलोंग स्वायत्त परिषद राजस्व विभाग, डिफू) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: असम			जिले का नाम: कारबी आंगलोंग		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: फुलोनी					
गांव का नाम: बोर्डेका					
1	10	निजी (निजी)	आवासीय	0.0695 (हेक्टेयर)	0.0695
2	11	निजी (निजी)	आवासीय	0.113 (हेक्टेयर)	0.113
3	151	निजी (निजी)	व्यावसायिक	0.0384 (हेक्टेयर)	0.0384
4	163	निजी (निजी)	आवासीय	0.0211 (हेक्टेयर)	0.0211
5	199	निजी (निजी)	आवासीय	0.145 (हेक्टेयर)	0.145
6	202	निजी (प्राइवेट)	आवासीय	0.3379 (हेक्टेयर)	0.3379
7	215	निजी (निजी)	आवासीय	0.064 (हेक्टेयर)	0.064
8	283	निजी (निजी)	आवासीय	0.2253 (हेक्टेयर)	0.2253
9	287	निजी (निजी)	आवासीय	0.0284 (हेक्टेयर)	0.0284
10	292	निजी (निजी)	आवासीय	0.2234 (हेक्टेयर)	0.2234
11	297	निजी (निजी)	व्यावसायिक	0.5145 (हेक्टेयर)	0.5145
12	306	निजी (निजी)	आवासीय	0.0039 (हेक्टेयर)	0.0039
13	310	निजी (निजी)	निजी	0.0765 (हेक्टेयर)	0.0765
14	311	निजी (निजी)	आवासीय	0.1422 (हेक्टेयर)	0.1422
15	313	निजी (निजी)	आवासीय	0.0689 (हेक्टेयर)	0.0689
16	314	निजी (निजी)	आवासीय	0.1464 (हेक्टेयर)	0.1464
17	315	निजी (निजी)	आवासीय	0.1228 (हेक्टेयर)	0.1228
18	316	निजी (निजी)	आवासीय	0.0773 (हेक्टेयर)	0.0773

19	317	निजी (निजी)	आवासीय	0.1563 (हेक्टेयर)	0.1563
20	318	निजी (निजी)	आवासीय	0.0039 (हेक्टेयर)	0.0039
21	33	निजी (निजी)	आवासीय	0.0041 (हेक्टेयर)	0.0041
22	374	निजी (निजी)	आवासीय	0.225 (हेक्टेयर)	0.225
23	397	निजी (निजी)	निजी	0.0985 (हेक्टेयर)	0.0985
24	611	निजी (निजी)	आवासीय	0.1733 (हेक्टेयर)	0.1733
25	708	निजी (निजी)	आवासीय	0.0176 (हेक्टेयर)	0.0176
26	709	निजी (निजी)	आवासीय	0.079 (हेक्टेयर)	0.079
27	710	निजी (निजी)	आवासीय	0.0947 (हेक्टेयर)	0.0947
28	711	निजी (निजी)	आवासीय	0.0792 (हेक्टेयर)	0.0792
29	725	निजी (निजी)	आवासीय	0.113 (हेक्टेयर)	0.113
30	726	निजी (निजी)	आवासीय	0.0082 (हेक्टेयर)	0.0082
31	727	निजी (निजी)	आवासीय	0.0116 (हेक्टेयर)	0.0116
32	728	निजी (निजी)	आवासीय	0.1405 (हेक्टेयर)	0.1405
33	95	निजी (निजी)	आवासीय	0.0267 (हेक्टेयर)	0.0267
Total					3.6501

[फा. सं. Kaziranga Bhoomi Rashi Portal File/3A3]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th February, 2024

S.O. 612(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH37 (New NH-715) in the stretch of land from Km. 315.315 to Km. 403 (Karbi Anglong Autonomous Council, Department of Revenue, Diphu) in the district of KARBI ANGLONG in the state of ASSAM, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Joint Secretary, Karbi Anglong Autonomous Council, Diphu in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such

objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH37 (NEW NH-715) in the stretch of land from Km. 315.315 to Km. 403 (Karbi Anglong Autonomous Council, Department of Revenue, Diphu) in the district of KARBI ANGLONG in the state of ASSAM

State: ASSAM			District: KARBI ANGLONG		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Phuloni					
Village: Bordeka					
1	10	Private	Residential	0.0695 (Hectare)	0.0695
2	11	Private	Residential	0.113 (Hectare)	0.113
3	151	Private	commercial	0.0384 (Hectare)	0.0384
4	163	Private	Residential	0.0211 (Hectare)	0.0211
5	199	Private	Residential	0.145 (Hectare)	0.145
6	202	Private	Residential	0.3379 (Hectare)	0.3379
7	215	Private	Residential	0.064 (Hectare)	0.064
8	283	Private	Residential	0.2253 (Hectare)	0.2253
9	287	Private	Residential	0.0284 (Hectare)	0.0284
10	292	Private	Residential	0.2234 (Hectare)	0.2234
11	297	Private	commercial	0.5145 (Hectare)	0.5145
12	306	Private	Residential	0.0039 (Hectare)	0.0039
13	310	Private	Residential	0.0765 (Hectare)	0.0765
14	311	Private	Residential	0.1422 (Hectare)	0.1422
15	313	Private	Residential	0.0689 (Hectare)	0.0689
16	314	Private	Residential	0.1464 (Hectare)	0.1464
17	315	Private	Residential	0.1228 (Hectare)	0.1228
18	316	Private	Residential	0.0773 (Hectare)	0.0773
19	317	Private	Residential	0.1563 (Hectare)	0.1563
20	318	Private	Residential	0.0039 (Hectare)	0.0039
21	33	Private	Residential	0.0041 (Hectare)	0.0041
22	374	Private	Residential	0.225 (Hectare)	0.225
23	397	Private	Residential	0.0985 (Hectare)	0.0985
24	611	Private	Residential	0.1733 (Hectare)	0.1733
25	708	Private	Residential	0.0176 (Hectare)	0.0176
26	709	Private	Residential	0.079 (Hectare)	0.079
27	710	Private	Residential	0.0947 (Hectare)	0.0947
28	711	Private	Residential	0.0792 (Hectare)	0.0792

29	725	Private	Residential	0.113 (Hectare)	0.113
30	726	Private	Residential	0.0082 (Hectare)	0.0082
31	727	Private	Residential	0.0116 (Hectare)	0.0116
32	728	Private	Residential	0.1405 (Hectare)	0.1405
33	95	Private	Residential	0.0267 (Hectare)	0.0267
Total					3.6501

[F. No. Kaziranga Bhoomi Rashi Portal File/3A3]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.